इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in**
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 511] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 7 नवम्बर 2013—कार्तिक 16, शक 1935

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 नवम्बर 2013

क्र. एफ 1-7-2013-बाईस-पं. 2.—मध्यप्रदेश पंचायत शाला शिक्षक (नियोजन एवं सेवा की शर्तें) नियम, 2005 में संशोधन का निम्नलिखित प्रारुप जिसे कि राज्य सरकार मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 70 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 95 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम की धारा 95 की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार उन समस्त व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिनके कि उससे प्रभावित होने की संभावना हो, एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से तीस दिन का अवसान होने पर उक्त प्रारुप पर विचार किया जाएगा.

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर जो कि उक्त प्रारुप के सम्बन्ध में, ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि का अवसान होने के पूर्व किसी व्यक्ति से प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा.

प्रारुप नियम

उक्त नियमों में, नियम 7-क में, उप नियम (3), (4) तथा (5) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम स्थापित किए जाएं, अर्थात्:—

"(3) ऐसे गुरुजी एवं पर्यवेक्षक जो वर्तमान में मध्यप्रदेश शिक्षा गारंटी स्कीम के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं, संविदा शाला शिक्षक वर्ग-3 के पद पर परीक्षा लिए बिना, ऐसी प्रक्रिया के अनुसार, जैसी कि सरकार द्वारा अवधारित की जाए, नियोजित किए जा सकेंगे.

(4) ऐसे गुरुजी एवं पर्यवेक्षकों का, जो मध्यप्रदेश पंचायत संविदा शाला शिक्षक (नियोजन एवं सेवा की शर्तें) नियम, 2005 में विहित शैक्षणिक अर्हता रखते हों, ऐसे नियोजन के तीन वर्ष के पश्चात् इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए सहायक अध्यापक के पद पर संविलयन किया जा सकेगा कि उन्हें संविदा शाला शिक्षक वर्ग-3 के पद पर नियोजन की तारीख से तीन वर्ष के भीतर डी. एड. प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा.".

No. F 1-7-2013-XXII-पं. 2.—The following draft of amendment in the Madhya Pradesh Panchayat Samvida Shala Shikshak (Employment and condition of contract) Rules, 2005, which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 95 read with sub-section (2) of Section 70 of the Madhya Pradesh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994), is hereby published, as required by sub-section (1) of Section 95 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft shall be taken into consideration on the expiry of thirty days from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.

Any objection or suggestion which may be recevied from any person with respect to the said draft before the expiry of the said period specified above shall be considered by the State Government.

DRAFT RULES

In the said rules, in rule 7-A, for sub rule (3), (4) and (5), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"(3) The Gurujis and supervisors who are presently working under the Madhya Pradesh Education Guarantee Scheme may be employed on the post of Samvida Shala Shikshak Grade-3 without taking examination, as per procedure as may be determined by the Government.

(4) Such Gurujis and Supervisors, who possess educational qualification prescribed in the Madhya Pradesh Panchayat Samvida Shala Shikshak (Employment and Condition of Contract) Rules, 2005, may be merged after three years of such employment on the post of Assistant Adhyapak subject to the condition that they shall have to undergo D. Ed. training within three years from the date of employment on the post of Samvida Shala Shikshak Grade-3.".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ब्रजेश कुमार, अपर सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.